

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
Union BankUnion Bank
of India

A Division of State Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-03-2024

Agency Name.	RAVINDER SINGH SON SH PHOOL SINGH
Application No.	19934868848
MoEF/SG File No.	9-HRB081-2022-CHA
Location.	HARYANA
Address.	House No. 455 B-2, Bitna Road, Shiv Colony, PinjorePanchkula
Amount(in Rs)	458259/-

Amount in Words :Four Lakh Fifty-Eight Thousand Two
Hundred and Fifty-Nine Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	HARYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506919934868848 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Undertaking regarding 2B Conditions of Stage-I approval

Sub: Diversion of 0.1897 ha. of forest land closed under section 4 & 5 for construction of Farm house to growing vegetables & fruits plants and for erecting shed to pet Cattles at village Garidan Tehsil Kalka under forest division Morin Pinjore and District Panchkula , Haryana. (Proposal No. FP/HR/Others/34868/2018)-reg.

प्रमाणित किया जाता है कि मैं रविन्द्र सिंह सुपुत्र श्री फूल सिंह मेरे उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जारी स्टेज स्वीकृत दिनांक की निम्न शार्तों की कठाई से अनुपालना की जाएगी:-

- i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। वृक्षों/पौधों की कटाई वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- v. इस प्रस्ताव को 45 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- viii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- ix. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- x. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xi. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- xiii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

RAVINDER SINGH SON SH PHOOL SINGH
House No. 455, B-2, Block, Bitna Road
Shiv Colony, Pinjore

COMPLIANCE OF SCHEDULED TRIBES AND OTHERS TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT) ACT 2006

**(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)
TITLE OF THE CASE/PROJECT:**

**Diversion of 0.1897 Ha. of forest land closed under section 4 & 5 of PLPA 1900
for construction of farm house to growing vegetables, fruit plants and erecting
shed to pet cattles in Khasra no. 617/325/460/7 at village garidan, Tehsil Kalka,
Distt. Panchkula.(FP/HR/others/34868/2018)**

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 year to the 13th day of December 2005 and is located in village having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census 2001 and the Census 2011.

Bhupender Singh Raghav H.P.S.
Divisional Forest Officer
MornMinjore Forest Division
Pinjore (Panchkula)

Signature
Full Name and official seal of
Deputy Commissioner
District Commissioner
Panchkula

